न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 06/2021 जिला सीकर ।

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल गोयल।

किशोर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बबेरा तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.03.2001 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम प्रार्थना पत्र संख्या 241/2020

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट एड. श्री सी.पी. बलाई।
2. रेस्पोडेंट् की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–24.08.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 19.03.2001 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 23.12.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर सीकर द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र सरकार बनाम गोविन्दसिंह में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2001 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गोविन्द सिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बबेरा तन पीथमपुरी तह0 नीमकाथाना को दिनांक 23.06.1999 को आराजी ख.न. 2410/1 कुल रकबा 4.48 है. में से 0.76 है0 भूमि का आंवटन किया गया निरस्त किया गया।
3. न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2001 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2001 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट् के पिता गोविन्द सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बबेरा तन पीथमपुरी को भू आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना) के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2410/11 रकबा 4.48 है0 में से 0.76 है0 भूमि का आवंटन नियमानुसार दिनांक 23.06.1999 को किया गया। उक्त भूमि पर अपीलांट् के पिता का कब्जा अर्से दराज से चला आ रहा था और अपीलांट् के पिता कृषिहीन काश्तकार की श्रेणी में आते थे। भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जब किया गया तब रेस्पोडेंट (तहसीलदार) स्वयं उक्त आवंटन सलाहकार समिति के मुख्य सदस्य थे। जिनके द्वारा आवंटन के समय स्वयं ने व उनके अधिनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियो ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन योग्य माना तथा विवादग्रस्त आराजी को आवंटन योग्य मानकर ही भूमि आवंटन की सिफारिश की गई थी। अपीलांट् काश्तकार व्यक्ति है जो विवादित भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज काश्त करता चला आ रहा था, और उसे पूर्व में किसी भी प्रकार से उक्त भूमि से बेदखल करने बाबत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किये जाने बाबत कोई सूचना प्राप्त हुई। अपीलांट् द्वारा अपने पिता के जीवनकाल से ही विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। अपीलांट् द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

किया गया और ना ही उसके पिता को आवंटित की गई भूमि विधि विरूद्ध की गई। स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि बाबत अपने विवेचन में माना कि मात्र आवंटन करने से पूर्व छोटी छोटी जांच नही की गई, जो कि अपीलांट् के पिता के द्वारा किया जाना संभव नही होकर रेस्पोडेंट् के द्वारा ही किया जाना चाहिये था। चूंकि रेस्पोडेंट् स्वय उक्त आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य होते हुये और आवंटन किये ज़ाने के समय मौके पर मौजूद रहते हुये उक्त तमाम तथ्यो व नियमो के बारे में किसी प्रकार का विरोध नही किये जाने से यह सुस्थापित हो जाता है कि विवादित भूमि का किया गया आवंटन, आवंटन नियमो के अनुसार ही किया गया था। मगर रेस्पोडेंट् द्वारा बायस होकर अपीलांट् के पिता को आवंटित भूमि को मिलीभगत कर गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुये नियम 14(4) के तहत निरस्त करवा दिया गया। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2001 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2001 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 24.08.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि रेस्पोडेंट् द्वारा गोविन्द सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बबेरा तन पीथमपुरी को भू आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना को आराजी खसरा नम्बर 2410/11 कुल रकबा 4.48 है0 में से 0.76 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 23.6.1999 को किया गया है को निरस्त करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 में विलम्ब के जो कारण उल्लेखित किये गये है वे काल्पनिक तथा अस्पष्ट है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है कि अपीलांट् को दिनांक 15.02.2020 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन प्रथम नोटिस एवं दिनांक 24.8.2020 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन पुनः नोटिस प्राप्त हुआ, जिस पर अपीलांट् ने रेस्पोडेंट के यहां लिखित जवाब प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि जो उसके पिता स्व0 गोविन्दसिंह के नाम अलॉट हुई थी उसे जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 19.03.2001 को निरस्त कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनिय है कि अपीलांट् का कथन है कि दिनांक 15.02.2020 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन प्रथम नोटिस एवं दिनांक 24.8.2020 को पुनः भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर रेस्पोडेंट के यहां लिखित जवाब प्रस्तुत करने पर न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है। उक्त तथ्य अस्वीकार नही किया जा सकता है क्योकि अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अवधि में अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी का अभाव हो यह संभव नही हैं। अपीलांट् द्वारा विलम्ब का कोई स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण भी अंकित नही किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र 05 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य पर्याप्त एवं समुचित नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेंट द्वारा गोविन्द सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बबेरा तन पीथमपुरी को भू आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

नीमकाथाना को आराजी खसरा नम्बर 2410/11 कुल रकबा 4.48 है0 में से 0.76 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 23.6.1999 को किया गया है को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन कर विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2001 पारित कर गोविन्द सिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बबेरा तन पीथमपुरी तह0 नीमकाथाना को दिनांक 23.06.1999 को आराजी ख.न. 2410/1 कुल रकबा 4.48 है. में से 0.76 है0 भूमि का आंवटन किया गया निरस्त किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2001 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील मियाद बाधित होने तथा गुणावगुण रहित होने के आधार पर हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2001 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

24/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner